दिनांक 28 अगस्त 2020 को कावेरी हॉल, गंगटोक में आयोजित शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक के कार्यवृत्त

शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक दिनांक 28 अगस्त 2020 को सुबह 11:00 बजे कावेरी हॉल , गंगटोक में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. लक्ष्मण शर्मा छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस.चंदेल पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
4.	प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
5.	प्रो. नवल किशोर पासवान डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
6.	प्रो. अभिजीत दत्ता डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	-	सदस्य
7.	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
8.	डॉ. के.आर.राम मोहन डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
9.	डॉ. कबिता लामा डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
10.	प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग	-	सदस्य
11.	प्रो. शांति एस. शर्मा अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग	-	सदस्य
12.	प्रो. एस.एस.महापात्र अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य

13. डॉ. कृष्णेन्दु दत्ता - सदस्य
अध्यक्ष, संगीत विभाग

14. डॉ. प्रवीण मिश्रा - सदस्य
अध्यक्ष, विधि विभाग

15. डॉ. दुर्गा प्रसाद छेत्री - सदस्य
अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग

16. डॉ. नीलाद्रि बाग - सदस्य
अध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग

17. डॉ. संध्या थापा - सदस्य
अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

18. डॉ. स्वरूप रॉय - सदस्य
अध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग

19. डॉ. कृष्ण मुरारी - सदस्य
अध्यक्ष, प्रबंधन विभाग

20. डॉ. विमल खवास - सदस्य
अध्यक्ष, शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग

21. डॉ. अनिल कुमार मिश्रा - सदस्य
अध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग

22. डॉ. सत्यानंद पंडा - सदस्य
अध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग
सिक्किम विश्वविद्यालय

23. डॉ. पुष्पा शर्मा - सदस्य
अध्यक्ष, नेपाली विभाग

24. डॉ. सोहेल फिरदोस - सदस्य
अध्यक्ष, भूगोल विभाग

25. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद - सदस्य
प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग

26. डॉ. टी.जे.एम.एस. राजू - सदस्य
सह प्राध्यापक
शिक्षा विभाग

27. डॉ. कोमल सिंघा - सदस्य
सह प्राध्यापक
अर्थशास्त्र विभाग

28. डॉ. अमिताभ भट्टाचार्य - सदस्य
सह प्राध्यापक
भौतिकी विभाग

29. डॉ. धनी राज छेत्री - सदस्य
सह प्राध्यापक
वनस्पति विज्ञान विभाग

30. श्री देबाशीष पाल - विशेष आमंत्रित
वित्त अधिकारी

31. श्री टी.के.कौल - सचिव
कुलसचिव

निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे :

1. प्रो. पायल मागो
   प्राचार्य, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन

2. डॉ. वीनू पंत
   अध्यक्ष, इतिहास विभाग

निम्नलिखित सदस्य पूर्व व्यस्तता के कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके और अनुपस्थिति की छुट्टी मांगी:

1. प्रो. रंजीत वर्मा, कुलपति, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर

2. प्रो. (डॉ) नीलु रोहमेत्रा, निदेशक, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

3. प्रो. मनोज खन्ना, प्राचार्यम, रामजस महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

4. डॉ. सुधान प्रधान, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग, पश्चिम सिक्किम

5. डॉ. आरती छेत्री, प्राचार्य, हर्कामाया शिक्षा महाविद्यालय, सामदुर, तादोंग, ईस्ट सिक्किम

6. डॉ. राजेश राज एस.एन., अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग

7. डॉ. योडीदा भूटिया, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग

8. डॉ. रोजी चामलिंग, अध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग

डॉ. एस.के. गुरुंग, संयुक्त कुसलचिव (शैक्षणिक) और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने शैक्षणिक परिषद की 27वीं बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों के साथ विशेष रूप से डॉ. धनीराज छेत्री का स्वागत किया, जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। अध्यक्ष ने प्रो नृपेन्द्रनाथ मंडल, प्रोफेसर, बोस संस्थान, प्रो. पूरबी रॉय, पूर्व प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग; जादवपुर विश्वविद्यालय, प्रो. सरोज कुमार पायने, विभागाध्यक्ष, पशु विज्ञान विभाग, विश्व-भारती; डॉ. सुचिष्मिता दत्ता, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बर्टुक, डॉ. एन.आर. भूयाँ, प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान; प्रो. जेता सांकृत्यायन, पूर्व अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, डॉ. एच.के. तिवारी, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग, डॉ. एस मणिवन्नन, पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर, बागवानी विभाग के योगतान को अभिलेखित किया।

कोविड-19 महामारी के कारण उपरोक्त बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग आदि के आवश्यक प्रोटोकॉल को बनाए रखा। इसके बाद एजेंडा के विषयों पर चर्चा की गयी :

खंड -1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं कार्रवाई रिपोर्ट

एसी 27.1.1: दिनांक 25 नवंबर 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

25 नवंबर 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त 12 दिसंबर 2019 को सभी सदस्यों को परिचालित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

परिषद ने 12 दिसंबर 2019 को सभी सदस्यों को परिचालित किए जाने के अनुसार 25 नवंबर 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की , जो किया गया था।

एसी27.1.2: दिनांक 25 नवंबर 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट

सचिव ने 25 नवंबर 2019 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 26वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2

सूचनात्मक विषय

एसी 27.2.1: विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी के पंजीकरण के लिए शोध सारांश(सिनोप्सिस)

परिषद ने प्रत्येक अध्ययन विद्यापीठों के अंतर्गत विश्वविद्यालय में एम.फिल/पीएचडी पंजीकरण के लिए शोध सारांश (सिनोप्सिस) की संख्या को नोट किया।

एसी27.2.2: किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन और इसी तरह के शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रतिभागिता/पेपर प्रस्तुति आदि के लिए पात्रता और अनुदान की मात्रा से संबधित दिशानिर्देश

दिनांक 8 जुलाई 2019 को जारी कार्यालय आदेश द्वारा गठित समिति ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी/सम्मेलन और अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम में भाग लेने/पत्र प्रस्तुत करने के लिए पात्रता और अनुदान की मात्रा के लिए दिशा-निर्देश तैयार किया और उसे दिनांक 9 दिसंबर 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 34वीं बैठक से समक्ष प्रस्तुत किया गया था। कार्यकारिणी परिषद ने अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका को एक समूह में रखकर अधिकतम रु. 75,000 (रुपये पचत्तर हजार केवल) राशि तक वित्तीय सहायता प्रदान करने के संशोधन के साथ मसौदा दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इसके बाद उक्त दिशानिर्देशों को दिनांक 23 जनवरी 2020 को जारी अधिसूचना - 31/2020 के माध्यम से अधिसूचित किया गया।

परिषद ने 23 जनवरी 2020 को अधिसूचित किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी / सम्मेलन और ऐसे अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रम में प्रतिभागिता/पेपर प्रस्तुति आदि के लिए पात्रता और अनुदान के लिए दिशा-निर्देशों को नोट किया।

खंड -3

अनुसमर्थित विषय

एसी27.3.1: शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) में बैचलर ऑफ सोवा रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्रम की संबद्धता के लिए कार्योत्तर स्वीकृति

नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) को सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2018-19 से बिना किसी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम के अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई थी। इसके बाद 2019 में बौद्ध धर्म और तिब्बती अध्ययन में एमए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक सत्र 2019-20 से बीएसआरएमएस पाठ्यक्रमों के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान की गई। एनआईटी ने 2018 से आयुष मंत्रालय और विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम संचालित कर कर रहा था। आयुष मंत्रालय के अंतर्गत नियामक निकाय सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) ने बीएसआरएमएस में यूजी पाठ्यक्रमों को 2018-19 बैच के लिए आईएमसीसी अधिनियम की धारा 12 सी/13 ए के तहत उसमें किए गए प्रवेश को नियमित करने के लिए मंजूरी दे दी है। यूजी (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्रम में किए गए प्रवेश को नियमित करने के लिए आयुष मंत्रालय की मंजूरी के आधार पर सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा एनआईटी के अनुरोध पर विचार किया गया था। विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी -1 के धारा 21 के तहत कुलपति ने 2018-19 में 15 छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू किए गए बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम के नियमितीकरण के लिए एककालीन कार्योत्तर अनुमति प्रदान की।

शैक्षणिक परिषद ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 15 छात्रों के प्रवेश के साथ नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) में बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम के लिए कार्योत्तर अनुमति देने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

<u>सूचीबद्ध विषय</u>

एसी27.3.2: कोविड-19 महामारी और उसके बाद घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए समिति

कोविड-19 महामारी और उसके बाद के घोषित लॉकडाउन के कारण सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। यूजीसी ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया , अनुसंधान गतिविधियों, टर्मिनल सेमेस्टर परीक्षा आदि में हुए व्यवधान के मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा और शैक्षणिक कैलेंडर पर सामान्य दिशानिर्देश जारी किए हैं। सिक्किम विश्वविद्यालय में उक्त दिशानिर्देशों पर विचार करने के लिए कुलपति ने प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति ने कई बैठकें करने के बाद कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की:

क. कोविड-19 महामारी और उसके बाद घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर स्नातकोत्तर शोध निबंध और एम.फिल/पीएचडी शोध प्रबंध के लिए दिशानिर्देश।

ख. कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर वर्तमान चल रहे यूजी (द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर) ; पीजी (द्वितीय सेमेस्टर) और विभिन्न पाठ्यक्रमों के मध्यवर्ती सेमेस्टरों की अंतिम सेमेस्टर परीक्षा, 2020 के लिए दिशानिर्देश।

ग. सम सेमेस्टर 2020 (स्नातकोत्तर-नियमित और बैकलॉग) के लिए ऑनलाइन (टेक होम परीक्षा) अंतिम परीक्षा के लिए दिशानिर्देश

घ. सम सेमेस्टर 2020 (स्नातक-नियमित और बैकलॉग) के लिए ऑनलाइन (टेक होम परीक्षा) अंतिम परीक्षा के लिए दिशानिर्देश

चूंकि दिशानिर्देशों का तत्काल पालन करना आवश्यक था , इसलिए कुलपति ने अधिसूचना के दिशानिर्देशों को शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन के शर्त पर अनुमोदित किया।

शैक्षणिक परिषद ने ऊपर बताए अनुसार समिति द्वारा अनुशंसित दिशानिर्देशों को अनुमोदित करने में कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड -4
विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ विषय

क. परीक्षकों का पैनल आदि

एसी 27.4.A1: बाह्य परीक्षकों का पैनल

परिषद ने संबन्धित विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित के अनुसार नीचे दिए गए विवरण के अनुसार परीक्षकों के पैनल को मंजूरी दी :

क्र.सं.	विद्यापीठ का नाम	विभाग का नाम	जिसके लिए बाह्य परीक्षकों को आमंत्रित किया जाना है
1)	मानव विज्ञान विद्यापीठ	मनोविज्ञान	3 पीएचडी शोध प्रबंध
2)	भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	अंग्रेजी	1 पीएचडी शोध प्रबंध
		नेपाली	3 पीएचडी शोध प्रबंध
3)	जीव विज्ञान विद्यापीठ	उद्यानिकी	पीएचडी शोध प्रबंध ; बीएससी और एमएससी के लिए प्रायोगिक परीक्षा
		सूक्ष्म जीव विज्ञान	पीएचडी शोध प्रबंध ; बीएससी और एमएससी के लिए प्रयोगिक परीक्षा
		प्राणिविज्ञान	पीएचडी शोध प्रबंध
4)	भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	भौतिकी	1 पीएचडी शोध प्रबंध
		रासायनिकी	2 पीएचडी शोध प्रबंध
5)	व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ	वाणिज्य	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		शिक्षा	2 पीएचडी शोध प्रबंध
		जनसंचार	5 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
		प्रबंधन	1 पीएचडी शोध प्रबंध
		पर्यटन	3 एम.फिल लघु शोध प्रबंध
6)	सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	विधि	5 पीएचडी शोध प्रबंध
		समाजशास्त्र	3 पीएचडी शोध प्रबंध
		शांति एवं द्वंद्व अध्ययन	7 पीएचडी शोध प्रबंध

ख. पाठ्यचर्या/पाठ्यक्रम विवरणिका आदि

एसी 27.4.B1: उद्यानिकी विभाग में एमएससी और पीएचडी पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या का संशोधन

डॉ. नीलाद्री बाग , विभागाध्यक्ष, उद्यानिकी विभाग ने एजेंडा प्रस्तुत किया। उन्होंने परिषद को सूचित किया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन में एमएससी और पीएचडी पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्या को संशोधित किया गया था , जिस संबंध में दिनांक 18 अगस्त 2020 को आयोजित जीव विज्ञान विद्यापीठ के विद्यापीठ बोर्ड की बैठक में विचार किया था। .

परिषद ने उद्यानिकी विभाग में एमएससी/पीएचडी पाठ्यक्रम के संशोधित पाठ्यचर्या को मंजूरी दी।

एसी 27.4.B2: नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी (एनआईटी) में 5 वर्षीय बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्र के लिए पाठ्यचर्या

जीव विज्ञान विद्यापीठ के डीन ने परिषद के समक्ष इस एजेंडे पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन (सीसीआईएम) पाठ्यक्रम का नियामक प्राधिकरण है। बीएसआरएमएस पाठ्यक्रम के लिए अनुशंसित पाठ्यक्रम ने क्रेडिट-आधारित ग्रेडिंग प्रणाली को नहीं अपनाया है और अंक-आधारित मूल्यांकन के साथ वार्षिक योजना के तहत चलाया जाता है। हालांकि, पाठ्यक्रम को सेमेस्टर आधारित रखने का प्रयास किया गया है और कुछ मामलों में क्रेडिट आवंटित किया गया है। इसलिए , पाठ्यक्रम को सीसीआईएम और सिक्किम विश्वविद्यालय दोनों की संरचनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मिश्रित तरीके से तैयार किया गया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनआईटी) में 5 वर्षीय बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (बीएसआरएमएस) पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को मंजूरी दी।

एसी27.4.B3: गणित में वर्तमान संचालित एमएससी और एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या में परिवर्तन/परिवर्धन

डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय, डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ ने इस विषय को प्रस्तुत किया।

I. एम.फिल/पीएचडी पाठ्यचर्या

संशोधित पाठ्यचर्या को परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है और कोर्स वर्क के ऐच्छिक पेपरों की मौजूदा सूची में नया पाठ्यक्रम *"होमोलॉजिकल बीजगणित"* को जोड़ा गया है।

II. एमएससी पाठ्यचर्या

सदन की राय थी कि ऐच्छिक में *"माप सिद्धांत"* और "*अंतर बीजगणित"* को शामिल करने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और शैक्षणिक परिषद की अगली बैठक में रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

एसी 27.4.B4: एमसीए 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में परिवर्तन

डॉ. स्वरूप रॉय , विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने इस विषय को प्रस्तुत किया। एआईसीटीई के निर्देशों के अनुसार एमसीए कोर्स की अवधि 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष कर दी गई है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद 3 वर्षीय एमसीए कोर्स को अगले शैक्षणिक सत्र से 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में बदलने की मंजूरी दी।

एसी 27.4.B5: ***नए एमसीए पाठ्यक्रम में एमओओसी पाठ्यक्रमों की मान्यता और परिचय***

डॉ. स्वरूप रॉय , विभागाध्यक्ष, कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने इस मद को प्रस्तुत किया। कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने 2 वर्ष की अवधि के लिए एमसीए पाठ्यक्रम को संशोधित करते हुए स्वयं/एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म के तहत पेश किए गए एमओओसी पाठ्यक्रमों को अपनाने और शामिल

करने का प्रस्ताव रखा। बताया गया कि विश्वविद्यालय के विभागों को एमओओसी के तहत 20% पाठ्यक्रम लागू करने हैं। कंप्यूटर अनुप्रयोग विभाग ने एमओओसी पाठ्यक्रम स्वयं/एनपीटीईएल प्लेटफॉर्म को अपनाने और शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद पाठ्यक्रम में संशोधन करने के दौरान एमसीए पाठ्यक्रम के लिए एमओओसी पाठ्यक्रम अपनाने को मंजूरी दी। परिषद ने यह भी चाहा कि अन्य विभाग भी एमओओसी के तहत 20% पाठ्यक्रमों को लागू कर सकते हैं।

एसी 27.4.B6: एमएससी पर्यावरण विज्ञान पाठ्यचर्या

डॉ. अनिल कुमार मिश्रा , विभागाध्यक्ष, भूविज्ञान विभाग ने यह मद को प्रस्तुत किया। दिनांक 9 दिसंबर 2019 को कार्यकारिणी परिषद की बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर पर्यावरण विज्ञान में एमएससी पाठ्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी।

परिषद द्वारा भौतिक विज्ञान विद्यापीठ द्वारा संस्तुत के अनुसार एमएससी पर्यावरण विज्ञान के लिए तैयार किए गए पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया गया।

एसी27.4.B7: एम.एड पाठ्यक्रम में लघु परिवर्तन

प्रो. अभिजीत दत्ता , डीन ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। एनसीटीई के दिशा-निर्देशों के अनुसार एम.एड पाठ्यक्रम में दूसरे और चौथे सेमेस्टर में इंटर्नशिप है। वर्तमान में पाठ्यक्रम में आंतरिक मूल्यांकन के लिए कुल 100 अंकों की इंटर्नशिप रिपोर्ट का मूल्यांकन है। विभाग ने इंटर्नशिप रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए आंतरिक मूल्यांकन के लिए 30 अंक और बाहरी मूल्यांकन के लिए 70 अंक वितरित करने का प्रस्ताव किया है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड द्वारा संस्तुत के अनुसार उपर्युक्त इंटर्नशिप रिपोर्ट के मूल्यांकन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

एसी 27.4.B8: एमए जनसंचार के पाठ्यक्रम में लघु परिवर्तन

प्रो. अभिजीत दत्ता , डीन ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड द्वारा अनुशंसित के अनुसार एमए जनसंचार पाठ्यक्रम में किए जानेवाले लघु परिवर्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।

एसी27.4.B9: पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान निष्णात (एमएलआईएस) पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम

प्रो. ए.एस. चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद 14 अगस्त 2020 को आयोजित अपनी बैठक में व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड अनुशंसित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान निष्णात पाठ्यक्रम को मंजूरी दे दी।

एसी 27.4.B10: शांति एवं द्वंद्व अध्ययन एवं प्रबंधन विभाग में एमए-तृतीय सेमेस्टर (वैकल्पिक पेपर) के लिए नए पाठ्यक्रम

प्रो. एन.के.पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एमए-तृतीय सेमेस्टर (वैकल्पिक पेपर) में "अंबेडकर और संघर्ष परिवर्तन" पर प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया ।

एसी 27.4.B11: अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में एमए-तृतीय सेमेस्टर (वैकल्पिक पेपर) के लिए नए पाठ्यक्रम

प्रो. एन.के.पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ ने इस मुद्दे को प्रस्तुत किया। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एमए-तृतीय सेमेस्टर (वैकल्पिक पेपर) में "हाइड्रो-डिप्लोमेसी और सीमा पार" पर प्रस्तावित नए पाठ्यक्रम को अनुमोदित किया ।

ग. नियम एवं नीति संबन्धित विषय

एसी 25.4.C1: बौद्धिक सम्पदा अधिकारी, 2020 पर मसौदा दिशा-निर्देश

प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग दिनांक 7 अगस्त 2019 को कार्यालया आदेश द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे। समिति ने देश भर के कुछ प्रमुख संस्थानों/प्रतिष्ठानों की आईपीआर नीतियों का उल्लेख किया और इस विषय पर कई बैठकें करने और विचार-विमर्श करने के बाद विश्वविद्यालय के बौद्धिक संपदा अधिकार, 2020 पर दिशानिर्देश तैयार किए। आविष्कार प्रकटीकरण फॉर्म के साथ मसौदा दिशानिर्देशों पर परिषद में विचार-विमर्श किया गया था।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के बौद्धिक सम्पदा अधिकार , 2020 पर मसौदा दिशा-निर्देशों को अनुमोदित किया।

एसी 25.4.C2: सिक्किम विश्वविद्यालय में एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संशोधित विनियम

चूंकि, प्रो. एन.के. पासवान दिनांक 24 जनवरी को जारी कार्यालय आदेश द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष थे, अत: उन्हो ने इस मद को प्रस्तुत किया । मसौदा दिशानिर्देश 2018 में संशोधन के साथ यूजीसी (एम.फिल / पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम 2016 के अनुरूप हैं। । साथ ही यह संशोधित अध्यादेश ओसी -6 और ओसी-7 के अनुरूप है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए संशोधित विनियम को कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन हेतु अनुशंसित किया।

सूचीबद्ध विषय

एसी25.4.C3: भूटिया, लेप्चा और लिम्बु विभाग में पीएचडी कार्यक्रम के संचालन के लिए दिशानिर्देश

प्रो. एन.के. पासवान , डॉ. के.आर. राम मोहन और डॉ समर सिन्हा को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए डॉ. कबिता लामा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा तैयार एक मसौदा दिशानिर्देश परिषद को प्रस्तुत किया गया था। परिषद ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया।

घ. विविध विषय

एसी25.4.D1: शोध छात्रों के लिए फैलोशिप का विस्तार

भौतिक विज्ञान विद्यापीठ ने 17 अगस्त 2020 को हुई अपनी बैठक में पाया कि एम.फिल/पीएचडी के शोधार्थियों का शोध कार्य कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुआ है। वे नियत तिथि पर अपना शोध कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। शोधार्थियों के फैलोशिप को एक वर्ष तक बढ़ाने का सुझाव दिया गया है। परिषद ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और यह पाया गया कि एक वर्ष की विस्तारित अवधि के लिए फेलोशिप का अनुदान विश्वविद्यालय की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इस तरह के मामले यूजीसी द्वारा निपटाए जा रहे हैं ।

परिषद ने विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय सामान्य अवधि से अधिक एक वर्ष के लिए शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान करने के लिए यूजीसी को अवगत कराया जाएँ।

खंड - 5

प्राधिकरणों/समितियों का कार्यवृत्त

एसी 25.5.1: दिनांक 11 अगस्त 2020 को आयोजित मानव विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 25.5.2: दिनांक 13 अगस्त 2020 को आयोजित भाषा विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 23.5.3: दिनांक 17 अगस्त 2020 को आयोजित भौतिक विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 23.5.4: दिनांक 14 अगस्त 2020 को आयोजित व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ बोर्ड की 12वीं बैठक का कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 23.5.5: दिनांक 12 अगस्त 2020 को आयोजित समाज विज्ञान विद्यापीठ बोर्ड की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 23.5.6: दिनांक 18 अगस्त 2020 को आयोजित डीन समिति की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त

नोट किया गया।

एसी 23.5.7: दिनांक 19 अगस्त 2020 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 13वीं बैठक के कार्यवृत्त

नोट किया गया।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने निम्नलिखितों को अनुमोदन प्रदान किया/कार्यकारिणी परिषद के अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश की :

i) स्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालय/विषय/पाठ्यक्रम के निरीक्षण के लिए प्रारूप-XII

ii) निम्नलिखित चार महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण किया जाएँ,

   i. नामग्याल तिब्बतीय संस्थान, गंगटोक
   ii. डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग
   iii. सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक
   iv. सिक्किम सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय, सोचेकगांग

बशर्ते कि निरीक्षण टीम की टिप्पणियों का अनुपालन हो।

iii) प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर के संशोधित संस्करण के साथ बी.टेक सिविल इंजीनियरिंग और बी.टेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम

खंड - 6

अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

हस्ता./-	**हस्ता./-**
(टी.के.कौल)	**(प्रो. अविनाश खरे)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
शैक्षणिक परिषद	**शैक्षणिक परिषद**